न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 50/22

प्रार्थी :–

1. उदाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट,उम्र 64 वर्ष निवासी साजियाली मूलराज द्वितीय, पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जेठीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति सुनार निवासी साजियाली रूपजी राजा बैरी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
2. सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री देवीसिंह महेचा वकील प्रार्थी
2 रूघाराम कडवासरा विप्रार्थी संख्या –01
3 सरकारी पैरोकार –विप्रार्थी संख्या –02

आदेश दिनांक :–13.1.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 350/87 रकबा 60 बीघा किस्म बारानी सोयम सरहद मौजा साजीयाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजा बेरी भू.अ.नि क्षेत्र साजीयाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि मे आवागमन हेतु 30 फीट चौडाई का कटाण रास्ता कृषि भूमि उपयोग के आवागमन हेतु खसरा संख्या 354/95 रकबा 0–04 बीघा किस्म गैर मुमकिन सडक से विप्रार्थीनी के खसरा संख्या 88 रकबा 34 बीघा 10 विस्वा किस्म बारानी सोयम मे प्राप्त करने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है। प्रार्थी के प्रार्थना के संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, खसरा संख्या 88 रकबा 34 बीघा 10 किस्म बारानी सोयम मे से 30 फीट रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु [illegible] आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी को तलब किया [illegible] विप्रार्थी संख्या –01 की तरफ से वकील उपस्थित उनकी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी व विशेष आपत्तियां पेश कर निवेदन किया कि रा.का.अधि. की धारा 251–ए में स्पष्ट प्रावधान है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कि कोई भी व्यक्ति सेढे से जुडता रास्ते की मांग की जाती है तो उक्त सेढे पर दोनो तरफ अर्थात दोनों दिशाओ के खातेदारो को नयायालय द्वारा नोटिस जारी कर सूचित करते हुए सेढे के दोनो तरफ के खातेदारो की भूमि से रास्ता कायम करना चाहिए। मगर प्रार्थी द्वारा सेढे पर रास्ते की मांग की गई है जिसकी केवल मात्र एक दिशा के ही खातेदारी के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 88 व 68 व 397/89 सरहद मौजा साजियाली रूपजी राजाबेरी के दोनो पक्षों को पक्षकार बनवाना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.2.2020 को धारा 251-ए, आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र श्री अदालत मे पेश किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 14/22 के साथ पेश किए गए परिशिष्ट 'अ' बरंग लाल हिस्सा ए से बी की मांग की गई थी, जो सही थी। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा पश्चातवृति प्रार्थना पत्र मे बताए गए तमाम तथ्य गलत है ,प्रार्थी पत्र काबिल खारिज योग्य है । विप्रार्थी संख्या -02 के सरकारी पैरोकार उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076-79 एवं विप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 88 जिसमें से रास्ते की मांग की गयी प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी वकील ने आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । विप्रार्थी जेठीदेवी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत् प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार पचपदरा से दिनांक 05.04.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ब' के अनुसार मौजा साजियाली रूपजी राजाबैरी के खसरा संख्या 350/87 में आवागमन हेतु निकट ओर उपयुक्त खसरा संख्या 88 मे से रास्ता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 898 फुट व चौडाई 20 फीट है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते का रकबा 01-01 बीघा यानि 17960 वर्ग फिट भूमि है जिनकी वर्तमान डी.एल.सी दर 17400/- रूपये प्रति बीघा है । भूमि की दुगनी राशि 36,540/- रूपये बनती है ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस प्रार्थी ने विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] सपठित धारा 151 सी.पी.सी के प्रावधान मूल वाद पर ही लागू होते है पुनः मौके देखने का प्रार्थना पत्र पर पूर्व मे सुना जाकर दिनांक 4.8.2022 को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरर्थक तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया गया ।साथ ही प्रार्थी वकील ने प्रार्थी के खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:27 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 88 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी सोयम में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता एक मात्र विकल्प है, जिसकी प्रार्थी को अत्यन्तिक आवश्यकता है। मौका रिपोर्ट मे भी इस रास्ता नजदीकी उपलब्ध नही है विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के आवागमन में अड़चने डालने पर प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है । अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थीगण को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है । विप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में भू अभिलेख निरीक्षक साजियाली पदमसिह द्वारा पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 21.03.22 में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया कि साजियाली रूपजी राजाबैरी के खसरा संख्या खसरा संख्या 350/87 रकबा 60 बीघा किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु निकट ओर उपयुक्त खसरा संख्या 88 है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 898 फुट व चौडाई 20 फीट है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते का रकबा 01–01 बीघा भूमि है जिनकी वर्तमान डी.एल.सी दर 17400/– रूपये प्रति बीघा के अनुसार रास्ते हेतु भूमि के रूपये 36540/– रूपये देय है । भूमि का नजरी मानचित्र व जमाबंदी मे रकबा अंकित अनुसार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित एवं मौका जांच में प्रस्तावित रास्ते की स्थिति मे कोई अन्तर नहीं है जो राजकीय भूमि की हाल से मौका जांच मे प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त है ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू0अभिलेख निरीक्षक साजियाली द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । विप्रार्थी संख्या –01 के वकील नें अपने बहस में निवेदन किया कि पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 4/2020 के परिशिष्ट 'अ' हिस्सा ए से बी के मुताबिक पुनः रिपोर्ट मंगवाई जाकर रास्ता कायम किया जाए जिसके अभाव मे प्रार्थना पत्र खारिज [illegible] । विप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 [illegible] प्रावधान मूल वाद पर ही लागू होने से है इस प्रकार विप्रार्थी का [illegible] पत्र निरर्थक तथ्यो पर आधारित होने के कारण खारिज दिनांक 4.[illegible]22 को किया जा चुका है । प्रार्थी के ग्राम साजियाली रूपजी राजाबैरी पटवार पचपदरा तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 350/87 रकबा 60 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, जिस पर उनका कब्जा काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से सडक तक आवागमन हेतु विप्रार्थी की उक्त भूमि के मध्य अवस्थित रास्ते से गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थी द्वारा अवरूद्ध

किये जाने से प्रार्थी के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । भू.अ.नि साजियाली पदमसिंह की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित भूमि का 01–01 बीघा है । विप्रार्थी की भूमि की डीएलसी दर 17400/– रूपये प्रति बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 36540/– रूपये बनती है, जो प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को अदा की जानी है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम सरहद मौजा साजीयाली रूपजी राजाबेरी पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजा बेरी तहसील पचपदरा की संख्या खसरा नम्बर 354/95 रकबा 0–04 बीघा किस्म गैर मुमकिन सडक से आवागमन हेतु ग्राम साजीयाली रूपजी राजा बेरी के विप्रार्थी संख्या –01 के खसरा संख्या 88 रकबा 34 बीघा 10 विस्वा किस्म बारानी सोयम में से प्रार्थी के खसरा संख्या 350/87 रकबा 60 बीघा किस्म बा.सो. मे जाने हेतु भू.अ.नि साजियाली पदमसिंह द्वारा दिनांक 21.03.2023 को प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से जिसका रकबा 01–01 बीघा भूमि, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 36540/– राशि निर्धारण कर नियमानुसार भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करावे । संबधित खातेदारान द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा की जाकर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

भू.अ.नि साजियाली पदमसिंह द्वारा दिनांक 21.03.2022 को प्रेषित मौका फर्द में एवं प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

13.01.23

आदेश आज दिनांक 21.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा